प्र.स.:– 11/2021
दायर दिनांक:– 22.10.2021
निर्णय दिनांक :– 16.03.2022

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :–	कनक जैन (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :–	11/2021
प्रकरण दायर दिनांक :–	22.10.2021

1. सत्यनारायण पुत्र रामसहाय जाति ब्राहमण निवासी नांगल गोविन्द तहसील लवाण जिला दौसा।

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।
2. गिर्राज पुत्र श्री रामसहाय
3. बाबूलाल पुत्र रामसहाय
4. जगदीश पुत्र बद्रीनारायण
5. राधेश्याम पुत्र बद्रीनारायण
6. शम्भु पुत्र बदरीनारायण
   जाति ब्राहमण निवासी नांगल गोविन्द तहसील लवाण जिला दौसा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

बाबत राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती हेतु।

उपस्थिति :–1. नीलम शर्मा, अधिवक्ता प्रा...
2. सीमा भारद्वाज, अधिवक्ता ... सं. 02 लगा0 06।
3. पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

(कनक जैन, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

प्र.स.:– 11/2021
दायर दिनांक:– 22.10.2021
निर्णय दिनांक :– 16.03.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 02 लगा0 06 एक ही ग्राम के निवासी है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 02, 03 सगे भाई है। जो रामसहाय के वारिस व उत्तराधिकारी है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। रामसहाय के नानगराम नाम का कोई लडका था ही नही, केवल मात्र तीन पुत्र है। जो वर्तमान में मौजूद है। ग्राम धरणवास तहसील लवाण में आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 0.08 है0, ख.न. 35 रकबा 0.05 है0, ख.न. 36 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 चाह भूमि जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 02 लगा0 06 व नानगा पुत्र रामसहाय के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के साबिक नम्बर 9 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. चाह जिसकी खातेदारी जौहरीलाल पुत्र गोकुलचन्द व रामसहाय पुत्र गंगाराम ब्राहमण के नाम से दर्ज थी। रामसहाय की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण सं. 02 दिनांक 29.03.2008 को सत्यनारायण, बाबूलाल, गिर्राज पुत्र रामसहाय के नाम से तस्दीक किया जाकर खातेदारी दर्ज की गई तथा जमाबन्दी संवत 2022 में प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 02, 03 के खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में पटवारी हल्का द्वारा खातेदारी में सहवन से जौहरीलाल पुत्र गोकु ल, नानगा, बाबूलाल, गिर्राज पिसरान रामसहाय नाम गलत दर्ज कर दिया तथा सत्यनारायण पुत्र रामसहाय का नाम गलती से अंकित करने से रह गया। जो एक क्लेरिकल गलती है। ग्राम धरणवास की कृषि भूमि ख.न. 80, 82, 84 जिसकी खातेदारी गिर्राज, बाबूलाल, सत्यनारायण पिसरान रामसहाय के नाम दर्ज है। जो रामसहाय के तीन पुत्र होना दर्शाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम धरणवास तहसील लवाण स्थित भूमि ख.न. 33, 35, 36 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नानग पुत्र रामसहाय ब्राहमण दर्ज हो रहा है को विलोपित कर, उसके स्थान पर सत्यनारायण पुत्र रामसहाय दर्ज किया जाकर, वर्तमान जमाबन्दी एवं जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में दर्ज नानगा पुत्र रामसहाय के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र रामसहाय दर्ज किया जाकर, जमाबन्दी संवत 2024 के अनुसार ही अगली जमाबन्दी में दुरूस्ती फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

(कनक जैन, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस के तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 02 लगा0 06 एक ही ग्राम के निवासी है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 02, 03 सगे भाई है। जो रामसहाय के वारिस व उत्तराधिकारी है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। ग्राम धरणवास तहसील लवाण में आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 0.08 है0, ख.न. 35 रकबा 0.05 है0, ख. न. 36 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 चाह भूमि जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 02 लगा0 06 व नानगा पुत्र रामसहाय के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के साबिक नम्बर 9 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. चाह जिसकी खातेदारी जौहरीलाल पुत्र गोकुलचन्द व रामसहाय पुत्र गंगाराम ब्राहमण के नाम से दर्ज थी। रामसहाय की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण सं. 02 दिनांक 29.03.2008 को सत्यनारायण, बाबूलाल, गिर्राज पुत्र रामसहाय के नाम से तस्दीक किया जाकर खातेदारी दर्ज की गई तथा जमाबन्दी संवत 2022 में प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 02, 03 के खातेदारी दर्ज की गई। जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में पटवारी हल्का द्वारा खातेदारी में सहवन से जौहरीलाल पुत्र गोकुल, नानगा, बाबूलाल, गिर्राज पिसरान रामसहाय नाम गलत दर्ज कर दिया तथा सत्यनारायण पुत्र रामसहाय का नाम गलती से अंकित करने से रह गया। जो एक क्लेरिकल गलती है। ग्राम धरणवास की कृषि भूमि ख.न. 80, 82, 84 जिसकी खातेदारी गिर्राज, बाबूलाल, सत्यनारायण पिसरान रामसहाय के नाम दर्ज है। जो रामसहाय के तीन पुत्र होना दर्शाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम धरणवास तहसील लवाण स्थित भूमि ख.न. 33, 35, 36 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नानग पुत्र रामसहाय ब्राहमण के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र रामसहाय दर्ज किया जाकर, वर्तमान जमाबन्दी एवं जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 में दुरूस्ती फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान अप्रार्थीगण सं. 02 लगा0 06 की ओर से प्रकरण में प्रार्थना पत्र सहमति प्रस्तुत करते प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:42:16 IST
Reason: SelfAttested

(कनक जैन, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

प्र.स.:– 11 / 2021
दायर दिनांक:– 22.10.2021
निर्णय दिनांक :– 16.03.2022

के निवासी है। जिसमें अप्रार्थी सं. 02 व 03 प्रार्थी के सगे भाई है। रामसहाय के तीन पुत्र बाबूलाल, गिर्राज व सत्यनारायण है। नानगा पुत्र रामसहाय नाम का कोई पुत्र नही है। प्रार्थना पत्र सत्यनारायण स्वीकार किये जाने योग्य है। जिसमें अप्रार्थीगण सं. 02 लगा0 06 को कोई एतराज नही है। अतः प्रार्थना पत्र सहमति पेश कर, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट को स्वीकार किया जाने का निवेदन करते हुए, अप्रार्थीगणो को कोई एतराज व आपत्ति नही है।

प्रकरण में पैरोकार सरकार ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. / 22 / 18 दिनांक 05.01.2022 द्वारा ग्राम धरणवास की जमाबन्दी सं. 2024–27 के खाता सं. 07 में जौहरीलाल पुत्र गोकुल, सत्यनारायण, बाबूलाल, गिर्राज पि. रामसहाय कौम ब्रा. सा. नांगल गोविन्द दर्ज है। किन्तु लिपकीय भूलवश जमाबन्दी सं. 2028–31 के खाता सं. 07 में जौहरीलाल पुत्र गोकुल, नानगा, बाबूलाल, गिर्राज पि. रामसहाय ब्रा. सा. नांगल गोविन्द खातेदार दर्ज हो गया। इस प्रकार जमाबन्दी लेखन में सत्यनारायण के बजाए नानगा दर्ज हो गया। जो कि शुद्धि योग्य है। उक्त अवधि के बाद तहसील लवाण का भू–प्रबन्ध हो चुका है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। ग्राम धरणवास की जमाबन्दी संवत 2024–27 के खाता सं. 07 मे जौहरीलाल पुत्र गोकुल, सत्यनारायण, बाबूलाल, गिर्राज पि. रामसहाय कौम ब्रा. सा. नांगल गोविन्द दर्ज था। किन्तु ग्राम धरणवास की जमाबन्दी संवत 2028–31 के खाता सं. 07 में सत्यनारायण के स्थान पर नानगा नाम लिपकीय भूलवश दर्ज हो गया। रामसहाय की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण सं. 02 को सत्यनारायण, बाबूलाल, गिर्राज पुत्र रामसहाय के नाम से तस्दीक किया जाकर खातेदारी दर्ज की गई। चूंकि ग्राम धरणवास की जमाबन्दी संवत 2028–31 में अंकित भूमि का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध किया जाकर, नवीन खसरा नम्बरान 33, 35, 36, 37 दर्ज किये गये। उक्त सभी तथ्यों के अनुसार ग्राम धरणवास की जमाबन्दी संवत 2028–31 के खात संख्या में नानगा के स्थान पर सत्यनारायण एवं ग्राम धरणवास

(कनक जैन, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

प्र.स.:— 11 / 2021
दायर दिनांक:— 22.10.2021
निर्णय दिनांक :— 16.03.2022

की जमाबन्दी संवत 2074—77 में भी नानगा पुत्र रामसहाय के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र रामसहाय दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम धरणवास की जमाबन्दी संवत 2028—31 के खाता संख्या 07 में नानगा के स्थान पर सत्यनारायण एवं ग्राम धरणवास की जमाबन्दी संवत 2074—77 के खाता संख्या 12 में भी नानगा पुत्र रामसहाय के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र रामसहाय दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

कनक जैन (आर.ए.एस)
(उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested